

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ऊर्जानिधि 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली
दिनांक 30.06.2020 को समाप्त तिमाही के लिए एकल वित्तीय परिणाम का विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			
		30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020
		(अनकेक्षित)	(अकेक्षित)	(अनकेक्षित)	(अकेक्षित)
	परिचालनों से राजस्व				
(i)	ब्याज आय	8,749.01	8,285.26	7,531.30	31,950.42
(ii)	लाभांश आय	-	1,262.87	0.47	1,289.52
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	8.66	4.25	45.55	122.96
I.	परिचालनों से कुल राजस्व	8,757.67	9,552.38	7,577.32	33,362.90
II.	अन्य आय	16.75	0.20	5.25	8.16
III.	कुल आय (I+II)	8,774.42	9,552.58	7,582.57	33,371.06
	व्यय				
(i)	वित्तीय लागतें	5,676.18	5,550.32	5,366.13	21,853.19
(ii)	निवल अंतरण/ट्रांजेक्शन विनिमय हानि/(लाभ)	232.64	1,752.03	(23.66)	2,633.42
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	2.98	4.10	2.41	10.76
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ)	114.53	(436.50)	(2.73)	(699.05)
(v)	वित्तीय लिखत पर क्षति	353.04	432.70	221.39	991.22
(vi)	कार्मिक हितलाभ व्यय	50.55	37.97	49.98	193.82
(vii)	मूल्यहास, परिशोधन एवं क्षति	1.94	2.90	1.72	9.10
(viii)	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	205.06	52.55	10.44	97.15
(ix)	अन्य व्यय	11.15	28.70	16.26	88.91
IV.	कुल व्यय	6,648.07	7,424.77	5,641.94	25,178.52
V.	असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)	2,126.35	2,127.81	1,940.63	8,192.54
VI.	असाधारण मदें	-	-	-	-
VII.	कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)	2,126.35	2,127.81	1,940.63	8,192.54
	कर व्यय:				
	(1) वर्तमान कर:				
	वर्तमान वर्ष	437.20	275.89	571.87	1,406.73
	पूर्ववर्ती वर्ष	43.52	17.75	-	17.75
	(2) आस्थगित कर	(53.93)	399.17	(14.00)	1,112.92
VIII.	कुल कर व्यय	426.79	692.81	557.87	2,537.40
IX.	जारी परिचलनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)	1,699.56	1,435.00	1,382.76	5,655.14
X.	बंद परिचलनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)	-	-	-	-
XI.	अवधि के लिए लाभ/(हानि) (जारी एवं बंद परिचलनों से) (IX+X)	1,699.56	1,435.00	1,382.76	5,655.14

XII.	अन्य व्यापक आय				
(क)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा - परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	(1.27)	(2.37)	(0.91)	(5.09)
	- इक्विटी लिखत के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)	6.20	(212.46)	18.14	(287.11)
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा - परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	0.26	0.14	0.42	0.08
	उप कुल (क)	5.19	(214.69)	17.65	(292.12)
(ख)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा - नकदी प्रवाह हैज में हैजिंग लिखतों पर लाभ और (हानि) का लागू भाग	(84.52)	(66.94)	11.07	(46.74)
	- हैजिंग रिसर्व की लागत	6.47	-	-	-
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा - नकदी प्रवाह हैज में हैजिंग लिखतों पर लाभ और (हानि) का लागू भाग	21.27	16.85	(3.87)	4.23
	- हैजिंग रिसर्व की लागत	(1.63)	-	-	-
	उप कुल (ख)	(58.41)	(50.09)	7.20	(42.51)
	अन्य व्यापक आय (क+ख)	(53.22)	(264.78)	24.85	(334.63)
XIII.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XI+XII)	1,646.34	1,170.22	1,407.61	5,320.51
XIV.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए)	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08
XV.	अन्य इक्विटी (31 मार्च के अंकेक्षित तुलन-पत्र के अनुसार)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	42,524.05
XVI.	प्रति इक्विटी शेयर मूल एवं तनुकृत अर्जन (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए):				
	(1) जारी परिचालनों के लिए (₹ में)	6.44	5.44	5.24	21.42
	(2) बंद परिचालनों के लिए (₹ में)	-	-	-	-
	(3) जारी एवं बंद परिचालनों के लिए (₹ में)	6.44	5.44	5.24	21.42

* तिमाही के लिए ईपीएस वार्षिकीकृत नहीं हैं।
एकल वित्तीय परिणाम के साथ संलग्न टिप्पणियों को देखें।

टिप्पणी:

1	कंपनी के अनंकेक्षित एकल वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश लेखा-परीक्षा समिति द्वारा की गई है और इसके बाद दिनांक 13.08.2020 को आयोजित अपनी संगत बैठकों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। उक्त की सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट और दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सीमित समीक्षा की गई है।																
2	अनंकेक्षित एकल वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक ('इंड एस')-34 'अन्तरिम वित्तीय रिपोर्टिंग' और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।																
3	इंड एस 109 के अनुसार कंपनी द्वारा अनुरक्षित क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों और उनपर क्षति हानि भत्ता (प्रतिबद्धताओं को शामिल करते हुए) का ब्यौरा निम्नानुसार है (करोड़ रूप में)																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>विवरण</th> <th>30.06.2020 तक</th> <th>31.03.2020 तक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>क)</td> <td>क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण</td> <td>26,534.66</td> <td>27,871.70</td> </tr> <tr> <td>ख)</td> <td>अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता</td> <td>14,476.78</td> <td>14,748.46</td> </tr> <tr> <td>ग)</td> <td>क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क)</td> <td>54.56%</td> <td>52.92%</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	विवरण	30.06.2020 तक	31.03.2020 तक	क)	क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण	26,534.66	27,871.70	ख)	अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता	14,476.78	14,748.46	ग)	क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क)	54.56%	52.92%
क्र.सं.	विवरण	30.06.2020 तक	31.03.2020 तक														
क)	क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण	26,534.66	27,871.70														
ख)	अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता	14,476.78	14,748.46														
ग)	क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क)	54.56%	52.92%														
4	विवेकपूर्ण तौर पर, क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर आय केवल तभी मान्य है जब प्रत्याशित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक हो।																
5	दिनांक 30.06.2020 तक कंपनी द्वारा जारी किए गए और बकाया सभी प्रतिभूत बॉण्ड के लिए, निर्दिष्ट अचल संपत्तियों और/या कंपनी की प्राप्तियों पर प्रभार पर मोर्टेज के रूप में 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।																
6	इंड एस 108-"ऑपरेटिंग सेगमेंट्स" की अपेक्षानुसार बिजनेस/भौगोलिक सेगमेंट की रिपोर्टिंग के संदर्भ में, कंपनी के परिचालनों में केवल एक ही बिजनेस सेगमेंट शामिल है - विद्युत क्षेत्र संस्थाओं को ऋण प्रदान करना। अतः इंड एस 108 के अनुसार कोई रिपोर्ट-योग्य सेगमेंट नहीं है।																
7	विश्वभर में कोविड-19 महामारी के प्रकोप से वित्तीय बाजारों में बेहद अशांति छाई हुई है। हालांकि, देश में लॉकडाउन पाबंदियों में छूट देने से आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे शुरू हो रही हैं। कंपनी द्वारा अनुकूल रीति से व्यवसाय परिचालनों की निरंतरता के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु स्थिति पर नजर रखी गई है। कंपनी के व्यावसायिक परिचालनों पर कोविड-19 का प्रभाव अनुलग्नक-क' में संलग्न है।																
8	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त सहायक कंपनी को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 30.06.2020 की सूचना सं-आरओसी/दिल्ली/248(2)/एसटीके-7/10148 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।																
9	पिछले वर्ष में, कंपनी ने दिनांक 20.09.2019 के कराराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा यथा स्थापित धारा 115बीए के अंतर्गत अनुमत 25.168% की हासित निगमित कर दर (लागू सरचार्ज एवं सेस सहित) विकल्प का उपयोग किया है। उपर्युक्त अध्यादेश के अनुसार दिनांक 30.09.2019 को समाप्त तिमाही एवं छमाही से आगे इस बदलाव के प्रभाव को कर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है। अतः 30.06.2019 को समाप्त पिछली तिमाही के लिए कुल कर व्यय तुलनीय नहीं है।																
10	दिनांक 31.12.2019 को समाप्त अवधि के लिए अनंकेक्षित आंकड़ों को दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित आंकड़ों से काट कर दिनांक 31.03.2020 को समाप्त तिमाही के आंकड़े लिए गए हैं।																
11	पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनःसमूहित/क्रमबद्ध किया गया है, ताकि उनकी तुलना की जा सके।																
	<p>स्थान: नई दिल्ली तारीख: 13.08.2020</p> <p>आर.एस. ढिल्लों अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन- 00278074</p>																

वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी के प्रकोप से वित्तीय बाजारों में बेहद अशांति छाई हुई है। भारत में, केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 25.03.2020 से 31.05.2020 तक देशभर का लॉकडाउन घोषित किया गया था। तथापि, देशभर में लॉकडाउन प्रतिबंधताओं में छूट से आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे शुरू हो रही हैं। कंपनी अपनी तकनीकी क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए अपने परिचालन को दूरस्थ रूप से जारी रखना चाहती है।

हालांकि, ऋणकर्ता एंटीटियों को अपने नकदी प्रवाह में अस्थायी व्यवधानों से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्रों और कैपेक्स योजनाओं को स्थगित करने की ओर ले जा रही हैं। इन कठिन समय में, सरकार और अन्य विनियामक नकदी प्रवाह की कमी को दूर करके अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न उपाय करके सक्रिय रूप से कार्यवाही कर रहे हैं। विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र की विविध एंटीटियों द्वारा चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिसमें देर से भुगतान अधिभार में कमी, निश्चित प्रभार और ब्याज दर प्रभार की छूट, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन सुविधाओं की 'मस्ट रन' स्थिति को सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

अपने कोविड-19 पैकेज की घोषणा के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के माध्यम से राज्य सरकार गारंटीकृत ऋणों के रूप में राज्य डिस्कॉमों को 90,000 करोड़ रुपए के लिक्विडिटी इंजेक्शन की भी घोषणा की है। 45,000 करोड़ रुपए के इसके अंश में से, कंपनी ने पात्र डिस्कॉमों को लिक्विडिटी पैकेज की इस योजना के अंतर्गत दिनांक 31.07.2020 तक 30,607.21 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की।

इसके अतिरिक्त, कोविड-19 नियामक पैकेज से संबंधित आरबीआई के दिनांक 27 मार्च, 2020, 17 अप्रैल, 2020 और 23 मई, 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पीएफसी ने पात्र ऋणकर्ताओं को दिनांक 1 मार्च, 2020 और 31 अगस्त, 2020 के बीच पड़ने वाली नियत किस्तों के भुगतान पर अधिस्थगन का प्रस्ताव दिया है। अधिस्थगन नीति के अनुसार, दिनांक 30.06.2020 तक नियत 11,497 करोड़ रुपए की राशि को अधिस्थगन किया गया है। नियत तारीख के बाद दिनों (डीपीडी) की गणना उन लेखों के लिए रद्द कर दिए गए हैं (स्टेजिंग स्टैंडस्टिल), जहां अधिस्थगन संस्वीकृत किया गया है, तथा यह अधिस्थगन के शुरू होने की तारीख में विद्यमान समान स्तर पर दिया गया है।

कंपनी अपनी निधियन जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह तैयार है। कंपनी के पास पर्याप्त लिक्विडिटी एवं विभिन्न बैंकों से पर्याप्त संख्या में अनाहरित लाइन ऑफ क्रेडिट हैं। पीएफसी की उच्च ऋण योग्यता और ऋणदाताओं के साथ सुस्थापित संबंध को ध्यान में रखते हुए, यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से निधियां जुटा सकता है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रबंधन का मानना है कि अपने व्यवसाय के परिचालन को जारी रखने, अपनी वित्तीय स्थिति को बनाए रखने और निरंतर आगे बढ़ने की अपनी क्षमता का आकलन करने में इस प्रकोप का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, कंपनी पर इस महामारी का प्रभाव, अन्य बातों के साथ, कोविड-19 की अवधि और गंभीरता से संबंधित भविष्य के विकास और विद्युत क्षेत्र पर और एनबीएफसी पर इसके प्रभाव को रोकने के लिए सरकार एवं विनियामक निकायों द्वारा कोई अन्य कार्रवाई पर निर्भर रहना जारी रखेगा। कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों और उसके व्यवसाय पर प्रभाव के कारण होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ऊर्जा निधि 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली
दिनांक 30.06.2020 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित वित्तीय परिणाम का विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			
		30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020
		(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
	परिचालनों से राजस्व				
(i)	ब्याज आय	16,855.71	16,044.21	14,508.55	61,628.35
(ii)	लाभांश आय	-	68.21	0.47	105.65
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	14.45	14.24	59.79	161.91
(iv)	अन्य परिचालनगत आय	43.89	66.07	25.93	293.53
I.	परिचालनों से कुल राजस्व	16,914.05	16,192.73	14,594.74	62,189.44
II.	अन्य आय	18.19	61.92	10.38	85.92
III.	कुल आय (I+II)	16,932.24	16,254.65	14,605.12	62,275.36
	व्यय				
(i)	वित्तीय लागतें	10,868.85	10,490.62	9,937.45	40,844.65
(ii)	निवल अंतरण/ट्रांजेक्शन विनिमय हानि/(लाभ)	636.23	3,084.78	18.41	4,991.32
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	9.84	14.59	9.21	36.20
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ)	(197.18)	(318.53)	187.85	(673.20)
(v)	वित्तीय लिखत पर क्षति	554.67	989.38	193.34	1,910.83
(vi)	प्रदान की गई सेवाओं की लागत	18.25	31.39	17.25	85.18
(vii)	कार्मिक हितलाभ व्यय	88.68	87.59	107.19	399.72
(viii)	मूल्यहास, परिशोधन एवं क्षति	5.57	7.59	5.12	24.43
(ix)	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	280.81	228.97	35.26	356.44
(x)	अन्य व्यय	45.46	65.83	42.35	228.55
IV.	कुल व्यय	12,311.18	14,682.21	10,553.42	48,204.12
V.	असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)	4,621.06	1,572.44	4,051.70	14,071.24
VI.	असाधारण मदें	-	-	-	-
VII.	संयुक्त उद्यम एवं एसोसिएट्स में लाभ/(हानि) का शेयर	4.85	3.45	11.25	21.43
VIII.	कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)+VII.	4,625.91	1,575.89	4,062.95	14,092.67
	कर व्यय:				
	(1) वर्तमान कर:				
	वर्तमान वर्ष	1,037.94	569.75	1,157.02	3,004.98
	पूर्ववर्ती वर्ष	177.25	18.85	10.30	83.02
	(2) आस्थगित कर	(146.51)	293.58	(4.11)	1,527.42
IX.	कुल कर व्यय	1,068.68	882.18	1,163.21	4,615.42

X.	जारी परिचलनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VIII-IX)	3,557.23	693.71	2,899.74	9,477.25
XI.	बंद परिचलनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)	-	-	-	-
XII.	अवधि के लिए लाभ/(हानि) (जारी एवं बंद परिचलनों से) (X+XI)	3,557.23	693.71	2,899.74	9,477.25
XIII.	अन्य व्यापक आय				
(क)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा				
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	(1.27)	(13.20)	(0.91)	(7.96)
	- इकिटी लिखत के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)	71.15	(301.35)	(5.47)	(416.31)
	- इकिटी विधि का उपयोग करके संयुक्त उद्यम में लेखाबद्ध अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर	-	-	-	(0.30)
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा				
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	0.26	2.86	0.42	0.80
	- इकिटी लिखत के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)	(2.82)	(0.40)	0.78	12.39
	- इकिटी विधि का उपयोग करके संयुक्त उद्यम में लेखाबद्ध अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर	-	0.08	-	0.05
	उप कुल (क)	67.32	(312.01)	(5.18)	(411.33)
(ख)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा				
	- नकदी प्रवाह हैज में हैजिंग लिखतों पर लाभ और (हानि) का लागू भाग	(123.60)	(369.06)	11.07	(348.86)
	- हैजिंग रिसर्व की लागत	177.01	(273.61)	-	(273.61)
	- इकिटी विधि का उपयोग करके संयुक्त उद्यम में लेखाबद्ध अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर	-	(0.80)	(3.13)	(3.94)
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा				
	- नकदी प्रवाह हैज में हैजिंग लिखतों पर लाभ और (हानि) का लागू भाग	31.10	92.89	(3.87)	80.27
	- हैजिंग रिसर्व की लागत	(44.55)	68.86	-	68.86
	- इकिटी विधि का उपयोग करके संयुक्त उद्यम में लेखाबद्ध अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर	-	-	-	-
	उप कुल (ख)	39.96	(481.72)	4.07	(477.28)
	अन्य व्यापक आय (क+ख)	107.28	(793.73)	(1.11)	(888.61)
XIV.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XII+XIII)	3,664.51	(100.02)	2,898.63	8,588.64
	निम्नलिखित के कारण लाभ:				
	- कंपनी के स्वामी	2,683.20	469.20	2,185.00	7,122.13
	- गैर-नियंत्रक ब्याज	874.03	224.51	714.74	2,355.12
		3,557.23	693.71	2,899.74	9,477.25
	निम्नलिखित के कारण अन्य व्यापक आय:				
	- कंपनी के स्वामी	31.26	(543.15)	11.19	(626.28)
	- गैर-नियंत्रक ब्याज	76.02	(250.58)	(12.30)	(262.33)
		107.28	(793.73)	(1.11)	(888.61)
	निम्नलिखित के कारण कुल व्यापक आय:				
	- कंपनी के स्वामी	2,714.46	(73.95)	2,196.19	6,495.85
	- गैर-नियंत्रक ब्याज	950.05	(26.07)	702.44	2,092.79

		3,664.51	(100.02)	2,898.63	8,588.64
XV.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए)	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08
XVI.	अन्य इक्विटी (31 मार्च के अंकेक्षित तुलन-पत्र के अनुसार)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	46,759.72
XVII.	प्रति इक्विटी शेयर मूल एवं तनुकृत अर्जन (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए)*:				
	(1) जारी परिचालनों के लिए (₹ में)	10.16	1.78	8.28	26.98
	(2) बंद परिचालनों के लिए (₹ में)	-	-	-	-
	(3) जारी एवं बंद परिचालनों के लिए (₹ में)	10.16	1.78	8.28	26.98

* तिमाही के लिए ईपीएस वार्षिकीकृत नहीं हैं।
समेकित वित्तीय परिणाम के साथ संलग्न टिप्पणियों को देखें।

टिप्पणी:

1	अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश लेखा-परीक्षा समिति द्वारा की गई है और इसके बाद दिनांक 13.08.2020 को आयोजित अपनी संगत बैठकों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। उक्त की सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट और दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सीमित समीक्षा की गई है।			
2	अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक ('इंड एस')-34 'अन्तरिम वित्तीय रिपोर्टिंग' और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।			
3	कंपनी के दिनांक 30.06.2020 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित वित्तीय परिणाम में एक सहायक कंपनी के तिमाही सीमित समीक्षित समेकित वित्तीय परिणाम; एक सहायक कंपनी के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित समेकित वित्तीय परिणाम; और पंद्रह एसोसिएट्स एवं एक संयुक्त उद्यम एंटीटी के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित एकल वित्तीय परिणाम शामिल हैं। इन सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम एंटीटी और एसोसिएट्स के वित्तीय परिणाम को इंड एस-110 – 'समेकित वित्तीय विवरण', इंड एस-111 – 'संयुक्त अरेजमेंट्स' और इंड एस 28 – 'एसोसिएट्स एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश' के अनुसार समेकित किया गया है।			
4	इंड एस 109 के अनुसार कंपनी और इसकी सहायक कंपनी अर्थात् आरईसी लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों और उनपर क्षति हानि भत्ता (प्रतिबद्धताओं को शामिल करते हुए) का ब्यौरा निम्नानुसार है			
(करोड़ रुपए में)				
	क्र.सं.	विवरण	30.06.2020 तक	31.03.2020 तक
	क)	क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण	46,745.40	49,127.25
	ख)	अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता	25,166.64	25,300.59
	ग)	क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क)	53.84%	51.50%
5	विवेकपूर्ण तौर पर, क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर आय केवल तभी मान्य है जब प्रत्याशित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक हो।			
6	दिनांक 30.06.2020 तक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी अर्थात् आरईसी लिमिटेड द्वारा जारी किए गए और बकाया सभी प्रतिभूत बॉण्ड के लिए, निर्दिष्ट अचल संपत्तियों और/या कंपनी की प्राप्तियों पर प्रभार पर मोर्टगेंज के रूप में 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।			
7	इंड एस 108-"ऑपरेटिंग सेगमेंट्स" की अपेक्षानुसार बिजनेस/भौगोलिक सेगमेंट की रिपोर्टिंग के संदर्भ में, समूह के परिचालनों में केवल एक ही बिजनेस सेगमेंट शामिल है – विद्युत क्षेत्र संस्थाओं को ऋण प्रदान करना। अतः इंड एस 108 के अनुसार कोई रिपोर्ट-योग्य सेगमेंट नहीं है।			
8	विश्वभर में कोविड-19 महामारी के प्रकोप से वित्तीय बाजारों में बेहद अशांति छाई हुई है। हालांकि, देश में लॉकडाउन पाबंदियों में छूट देने से आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे शुरू हो रही हैं। कंपनी द्वारा अनुकूल रीति से व्यवसाय परिचालनों की निरंतरता के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु स्थिति पर नजर रखी गई है। समूह के व्यावसायिक परिचालनों पर कोविड-19 का प्रभाव अनुलग्नक- 'क' में संलग्न है।			
9	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त सहायक कंपनी को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 30.06.2020 की सूचना सं-आरओसी/दिल्ली/248(2)/एसटीके-7/10148 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।			
10	पिछले वर्ष में, कंपनी और इसकी सहायक कंपनी अर्थात् आरईसी लिमिटेड ने दिनांक 20.09.2019 के कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा यथा स्थापित धारा 115बीए के अंतर्गत अनुमत 25.168% की ह्रासित निगमित कर दर (लागू सरचार्ज एवं सेस सहित) विकल्प का उपयोग किया है। उपर्युक्त अध्यादेश के अनुसार दिनांक 30.09.2019 को समाप्त तिमाही एवं छमाही से आगे इस बदलाव के प्रभाव को कर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है। अतः 30.06.2019 को समाप्त पिछली तिमाही के लिए कुल कर व्यय तुलनीय नहीं है।			
11	दिनांक 31.12.2019 को समाप्त अवधि के लिए अनंकेक्षित आंकड़ों को दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित आंकड़ों से काट कर दिनांक 31.03.2020 को समाप्त तिमाही के आंकड़े लिए गए हैं।			
12	पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनःसमूहित/क्रमबद्ध किया गया है, ताकि उनकी तुलना की जा सके।			
<p>स्थान: नई दिल्ली तारीख: 13.08.2020</p>		<p>आर.एस. ढिल्लों अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन- 00278074</p>		

वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी के प्रकोप से वित्तीय बाजारों में बेहद अशांति छाई हुई है। भारत में, केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 25.03.2020 से 31.05.2020 तक देशभर का लॉकडाउन घोषित किया गया था। तथापि, देशभर में लॉकडाउन प्रतिबंधताओं में छूट से आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे शुरू हो रही हैं। समूह अपनी तकनीकी क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए अपने परिचालन को दूरस्थ रूप से जारी रखना चाहती है।

हालांकि, ऋणकर्ता एंटीटियों को अपने नकदी प्रवाह में अस्थायी व्यवधानों से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्रों और कैपेक्स योजनाओं को स्थगित करने की ओर ले जा रही हैं। इन कठिन समय में, सरकार और अन्य विनियामक नकदी प्रवाह की कमी को दूर करके अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न उपाय करके सक्रिय रूप से कार्यवाही कर रहे हैं। विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र की विविध एंटीटियों द्वारा चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिसमें देर से भुगतान अधिभार में कमी, निश्चित प्रभार और ब्याज दर प्रभार की छूट, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन सुविधाओं की 'मस्ट रन' स्थिति को सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

अपने कोविड-19 पैकेज की घोषणा के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के माध्यम से राज्य सरकार गारंटीकृत ऋणों के रूप में राज्य डिस्कॉमों को 90,000 करोड़ रुपए के लिक्विडिटी इंजेक्शन की भी घोषणा की है। समूह ने पात्र डिस्कॉमों को लिक्विडिटी पैकेज की इस योजना के अंतर्गत दिनांक 31.07.2020 तक 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि संवितरित की।

इसके अतिरिक्त, कोविड-19 नियामक पैकेज से संबंधित आरबीआई के दिनांक 27 मार्च, 2020, 17 अप्रैल, 2020 और 23 मई, 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी और इसकी सहायक कंपनी अर्थात् आरईसी लिमिटेड ने पात्र ऋणकर्ताओं को दिनांक 1 मार्च, 2020 और 31 अगस्त, 2020 के बीच पड़ने वाली नियत किस्तों के भुगतान पर अधिस्थगन का प्रस्ताव दिया है। अधिस्थगन नीति के अनुसार, दिनांक 30.06.2020 तक नियत 21,635 करोड़ रुपए की राशि को अधिस्थगन किया गया है। नियत तारीख के बाद दिनों (डीपीडी) की गणना उन लेखों के लिए रद्द कर दिए गए हैं (स्टेजिंग स्टैंडस्टिल), जहां अधिस्थगन संस्वीकृत किया गया है, तथा यह अधिस्थगन के शुरू होने की तारीख में विद्यमान समान स्तर पर दिया गया है।

समूह अपनी निधियन जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह तैयार है। कंपनी के पास पर्याप्त लिक्विडिटी एवं विभिन्न बैंकों से पर्याप्त संख्या में अनाहरित लाइन ऑफ क्रेडिट हैं। समूह कंपनियों की उच्च ऋण योग्यता और ऋणदाताओं के साथ सुस्थापित संबंध को ध्यान में रखते हुए, यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से निधियां जुटा सकता है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रबंधन का मानना है कि अपने व्यवसाय के परिचालन को जारी रखने, अपनी वित्तीय स्थिति को बनाए रखने और निरंतर आगे बढ़ने की अपनी क्षमता का आकलन करने में इस प्रकोप का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, समूह पर इस महामारी का प्रभाव, अन्य बातों के साथ, कोविड-19 की अवधि और गंभीरता से संबंधित भविष्य के विकास और विद्युत क्षेत्र पर और एनबीएफसी पर इसके प्रभाव को रोकने के लिए सरकार एवं विनियामक निकायों द्वारा कोई अन्य कार्रवाई पर निर्भर रहना जारी रखेगा। समूह भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों और उसके व्यवसाय पर प्रभाव के कारण होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।